

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4206
उत्तर देने की तारीख-01/04/2026

केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षण पदों की रिक्तियाँ

4206 डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में आरक्षित और सामान्य श्रेणी के वर्तमान रिक्त शिक्षण पदों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) क्या रिक्तियों के इस रुझान ने विश्वविद्यालयों को तदर्थ और अतिथि संकाय पर अधिक निर्भर रहने के लिए बाध्य किया है;
- (ग) हाल की भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान संवैधानिक आरक्षण नीतियों से कथित विचलन का ब्यौरा क्या है;
- (घ) संकाय की इस कमी का भारतीय विश्वविद्यालयों के अनुसंधान परिणामों और वैश्विक रैंकिंग पर क्या प्रभाव पड़ा है; और
- (ङ) समय-सीमा के भीतर विशेष भर्ती अभियान शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम सहित शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (सीएचईआई) संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और इसके तहत बनाए गए अधिनियमों/कानूनों/अध्यादेशों/विनियमों आदि के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, संकाय की भर्ती संस्थानों के भीतर ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। इन पदों पर भर्ती का प्राधिकार संबंधित शासी बोर्ड/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित है।

रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियाँ पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र, मृत्यु, नए संस्थानों, योजनाओं या परियोजनाओं के प्रारम्भ होने तथा

छात्रों की संख्या में वृद्धि और मौजूदा संस्थानों की क्षमता विस्तार संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है।

सरकार ने दिनांक 09.07.2019 को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया ताकि इन सीएचआईआई में शिक्षक संवर्ग के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान किया जा सके। उक्त अधिनियम के अनुसरण में जारी दिनांक 12.7.2019 की अधिसूचना के अनुसार, शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान किया गया है।

उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, अनुसंधान और नवाचार के वातावरण को मजबूत करना, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संबंधों को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इन सम्मिलित प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत ने अपने वैश्विक नवाचार सूचकांक(जीआईआई) रैंकिंग में जबरदस्त उछाल देखा है; वर्ष 2013 में 66वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2023 में यह 40वें स्थान पर पहुँच गया है। डब्ल्यूआईपीओ के 'विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक' के अनुसार पेटेंट आवेदनों की संख्या के मामले में भारत वर्ष 2012 के 8वें स्थान से आगे बढ़कर वर्ष 2022 में 6वें स्थान पर पहुँच गया है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रकाशित 'अनुसंधान और विकास आकड़ें एक नज़र में 2022-23' के अनुसार विज्ञान और इंजीनियरिंग (एसएंडई) के क्षेत्र में दी गई पीएचडी डिग्रियों की संख्या के मामले में भी भारत तीसरे स्थान पर है।

क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग (क्यूएस डबल्यूयूआर) 2026 में 54 भारतीय संस्थानों को रैंक प्राप्त हुई है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है जो क्यूएस डबल्यूयूआर 2015 के 11 संस्थानों से बढ़कर क्यूएस डबल्यूयूआर 2026 में 54 संस्थानों तक हुई वृद्धि को दर्शाता है। आठ भारतीय संस्थानों को पहली बार रैंक मिली है; यह इस संस्करण में किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा संख्या है चाहे जी20 देशों की बात हो या पूरी दुनिया की। यह लगातार जारी नीतिगत पहलों, मजबूत अनुसंधान और नवाचार क्षमता, और भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली की लगातार बढ़ती वैश्विक पहचान को रेखांकित करता है।

अगस्त 2021 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी सीएचआईआई से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए 'मिशन मोड' में एक विशेष अभियान चलाएं। सीएचआईआई ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) सहित विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों को भरने के लिए विशेष

भर्ती अभियान चलाए। सितंबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई से एक बार फिर आग्रह किया था कि वे रिक्तियों को 'मिशन मोड' में भरें। अक्टूबर 2025 में सभी सीएचईआई से पुनः अनुरोध किया गया है कि वे सभी बैकलॉग रिक्तियों को 'मिशन मोड' में भरें। सितंबर 2022 से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी सीएचईआई ने रिक्त पदों को भरने के लिए मिशन मोड में भर्ती अभियान चलाया है। दिनांक 24.01.2026 तक (अर्थात, पिछले रोज़गार मेले की तारीख तक), मिशन मोड के तहत सभी सीएचईआई द्वारा कुल 30,720 पद भरे गए हैं जिनमें 17,878 संकाय पद शामिल हैं। इन भरे गए 30,720 पदों में से, सीयू, आईआईटी और आईआईएम द्वारा सामूहिक रूप से कुल 21,601 पद भरे गए हैं जिनमें से 12,287 संकाय पद हैं।

केंद्र द्वारा वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण संकाय को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें वर्ष भर खुले रहने वाले विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड भर्ती और पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/संकाय को आमंत्रित करना आदि शामिल हैं। संकाय भर्ती प्रक्रियाएं सीएचईआई द्वारा पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके पूरी की जाती हैं जो एक बहु-चरणीय और मज़बूत स्क्रीनिंग प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। विभिन्न संस्थानों के अधिनियम और कानून, चयन समितियों की संरचना विभिन्न स्तरों पर संकाय की भर्ती के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों और विज़िटर के द्वारा मनोनित आदि के प्रावधानों को स्पष्ट करते हैं ताकि भर्तियों में पारदर्शिता और अकादमिक गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक साझा पोर्टल 'सीयू-चयन' शुरू किया है जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गई है।
